6/22

पंजाबी कस्टे आदेश पेश हुई।
पंजाबी एवं पंजाबी पर प्रस्तुत
दस्तावेजों का अवलोकन किया।
प्रतीत प्रार्थी की एक प्रतीत कब्जा
पर प्रतन किया जिसे कि इसका
है कि प्रा. पत्र में दर्शित सजरा
क्रमांक 1 कस्टा आराजी पुख्तैनी
होने से प्रार्थिया का हक एवं
अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित
है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण
एवं सुविधा का संतुलन एवं
अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त
प्रार्थीगण के पक्ष में संकेत होते
हैं इस न्यायालय द्वारा जारी
अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 14.6.2021
को मंजूर किया जाता है
बाद के निस्तारण तक विपक्षीगण
को मौके की आ.नं. 4123,
4124, 2594, 4165, 4219 से
संबंधित भूमि की राजस्व रिकार्ड
एवं मौके की यथास्थिति बनाये
रखी जावे। निर्णय सरे इजलास
सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:39:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी